झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 46 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती तेतरी देवी
ग्रा० + पंचायत - कोपे, पो० + थाना - मनिका
जिला - लातेहार

DISPOSED बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023		

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, लातेहार
वाद सं0—46/2023

आज दिनांक—27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक—08 पर अंकित शिकायतकर्ता श्रीमती तेतरी देवी, ग्राम+पंचायत—कोपे, प्रखण्ड—मनिका, जिला—लातेहार ने लिखित शिकायत की है कि प्रत्येक माह कुल—20 कि0ग्रा0 दिये जाने वाले अनाज में 02 कि0ग्रा0 की कटौती कर 18 कि0ग्रा0 अनाज दिया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि राशन डीलर का कहना है कि उन्हें वेतन नहीं मिलता है, इसलिये लाभुक के अनाज में कटौती कर ही वो अपना घर चलाता है। मामले में आयोग द्वारा पत्रांक—WA/433/2023 दिनांक—11.07.2023 के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आयोग के निदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ।

आयोग द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी—सह—जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया गया कि ऐसे तर्क देने वाले डीलर के विरूद्ध कार्रवाई करें। आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी—सह—जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को यह भी निर्देश देता है कि लाभुक को लगातार दिये जाने वाले अनाज में डीलर द्वारा अब तक कटौती किये गये अनाज लाभुक को उपलब्ध कराया जाए।

इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx42